(25)

न्याया० रूपना०/ 353

न्याया० आदेश 16-5-08

न्यायालय परगनाधिकारी गढ़मुक्तेश्वर (गाजियाबाद)

वाद संख्या /2008 अध्या 143 ज०वि०अधि०

रामवीर सिंह बनाम सरकार

ग्राम रसूलाबाद नानपुर

निर्णय 16-5-08

Annex.

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादी रामवीर सिंह पुत्र श्री ... सचिव सोमेन्द्र तोमर पुत्र महेन्द्र सिंह, तिरूमाला एजूकेशन एण्ड वेलफेयर एजूकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट रसूलाबाद नानपुर के वादपत्र के आधार पर प्रारम्भ हुई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में कथन किया गया कि ग्राम रसूलाबाद नानपुर के खाता संख्या 409 के खसरासंख्या 975 रकवा 0–917हे0 मालगुजारी 22–65 पर चारी दीवारी करके कमरों का निर्माण कर दिया गया है। जिस पर कृषि बागवानी या पशुपालन या मत्स्य पालन का कार्य नही किया जा रहा है। अतः उक्त भूमि को अकृषक घोषित किये जाने की याचना की है।

उक्त की जाँच नायब तहसीलदार गढ़ से कराई गयी। नायब तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया कि उक्त भूमि वर्तमान में कृषि कार्य अथवा कृषि से सम्बद्ध कार्य के प्रयोग में नही आ रही है, मौके पर वादीगण द्वारा चारदीवारी की गयी है, निर्माण कार्य चालू है। वादी के नाम सं0भू0 खाते में अंकित है। अपनी आख्या के साथ मौके का नक्शा नजरी एवं नियम 135 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर आख्या भी प्रेषित की गयी है। अकृषक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति प्रेषित किया की है।

मैंने पत्रावली का सम्यक् अध्ययन किया गया तथा वादी को सुना। नायब तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या में वर्णित किया गया कि प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य अथवा कृषि से सम्बद्ध कार्य नहीं किया जा रहा है, मौके पर चारदीवारी बनी है, वादीगण के नाम सं0भू0 खाते के दर्ज है। चूँकि प्रश्नगत भूमि पर मौके पर चारदीवारी बनी है, और कोई कृषि अथवा कृषि से सम्बद्व कार्य नही किया जा रहा है, नायब तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत भूमि को अकृषक घोषित किये जाने की संस्तुति की है। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार की आख्या से सहमत होते हुये प्रश्नगत भूमि को अकृषक घोषित किया जाना उचित है, अतः आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम रसूलाबाद नानपुर के खाता संख्या 409 के खसरा संख्या 975 रकबा0–917हे0 को अकृषक घोषित किया जाता है। नक्शा नजरी आदेश का अंग रहेगा। इस आदेश की एक प्रति माल अभिलेखों की दुरूस्ती हेतु तहसीलदार गढ़ को तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु उपनिबन्धक गढ़मुक्तेश्वर को प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर होवे।

ह० अपठित

(राकेश चन्द्र शर्मा)

परगनाधिकारी, गढ़

न० 353 दिनांक 16-5-2008

प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 16/5/08

नकल तैयारी का दिनांक 16/5/08

नोटिस बोर्ड ... 16/5/08

... 16/5/08

... 16/5

सत्य प्रतिलिपि

16/5/08

Tirumala Educational & Welfare Trust

Secretary

Secretary

RIt College of Pharmacy

Vill. Rasulabad Nanpur

Hapur

Scanned with CamScanner